न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

1. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. राजकुमार पुत्र बिरदीचंद (विक्रेता)
   निवासी–स्टेशन रोड़, छोटी खाटू जिला नागौर।
   फर्मः–लक्ष्मीनारायण बिरदीचंद, स्टेशन रोड़, पुस्तकालय के पास, छोटी खाटू जिला नागौर।
2. लकड़ा जी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, G1-3, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बस्सी, जयपुर।
3. मै. छोटीलाल लकड़ा, रामगंज अनाज मण्डी जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्याः– 39/2017

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 "

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हरफूलराव।

–:निर्णय :–

दिनांकः–17.09.2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक अनिल कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालर' में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 18.03.2016 को समय 02:00 पी.एम. पर लक्ष्मीनारायण बिरदींचंद, स्टेशन रोड़, पुस्तकालय के पास, छोटी खाटू, जिला नागौर पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति श्री राजकुमार पुत्र बिरदीचंद, निवासी स्टेशन रोड़, छोटी खाटू, जिला नागौर, फर्म–लक्ष्मीनारायण बिरदीचंद, स्टेशन रोड़ पुस्तकालय के पास छोटी खाटू, जिला नागौर पर विक्रेता एवं खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ बेसन आदि विक्रय हेतु रखे पाये। ।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ बेसन (लकड़ाजी) 1 किलोग्राम पॉली पैक में सीलबंद रखा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

को बता दिया था कि यह बेसन (लकड़ाजी) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त बेसन (लकड़ाजी) 4 किलोग्राम खरीदा तथा विक्रेता मालिक को रू. 320/–(अक्षरे तीन सौ बीस रू.मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खरीद किया गया बेसन (लकड़ाजी) को मूल सील बंद अवस्था में गते के अलग अलग चार डिब्बों में पेक कर लेबल लगाकर आउटर कवर में मजबूत मोटे खाकी कागज से किया एवं चारों भागों को अलग अलग नियमानुसार पेपर स्लिप जिस पर डी.ओ. कोड व सीरीयल नं. Q-804 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैंने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये, चारों नमूनों को अलग–अलग भूरे कागज Q-804 हस्ताक्षरयुक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने की बोतलों पर सिर से होते हुए नीचे पैंदो तक नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागों से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चमड़ी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पैंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की पर लगाई एवं चारों नमूनों पर हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये। गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सील बंद अवस्था में कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया, पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील ने नमूना Q-804 सील चपड़ी किया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैंने स्वयं व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द संलग्न है।

(3) यह है कि Q-804 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नं. 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में वास्ते जांच श्री प्रेमचंद भाटी वार्ड बॉय नागौर के साथ दिनांक 21.03.2016 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। जो असल संलग्न है। यह है कि Q-804 के नमूने द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नं. कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा Q-804 नमूना सील बंद कर मैंने स्वयं अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 21.03.2016 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। जो दोनों असल संलग्न है।

(4) यह है कि अभिहित अधिकारी नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/264/एक्ट/2016/295 दिनांक 28.03.2016 दी गई, जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना Q–804 बेसन (लकड़ाजी) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण मिथ्याछाप (misbranded) पाया गया है। जांच रिपोर्ट असल संलग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना डाक से पत्र क्रमांकः–FSSA/07 दिनांक 07.04.16 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता राजकुमार ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन (लकड़ाजी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनयम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा–52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

उक्त प्रकरण न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर के पत्रांक :पं. ()/() ए.डी.एम.कार्ट/2016 /2173 दिनांक 17.11.2016 द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में नहीं होने से न्यायालय हाजा में प्राप्त हुआ है।

(5) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 28.12.2017 को अभियुक्त संख्या 01 राजकुमार पुत्र बिरदीचंन ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। अभियुक्त संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने मेरा जिस बेसन का नमूना लिया जो मिसब्राण्ड पाया गया जो मैंने मैसर्स छोटीलाल लकड़ा जयपुर के बिल से खरीदा था। उक्त लकड़ा ब्राण्ड बेसन शीलबन्द हालात खरीदा सीलबन्द ही बेचता हूँ। आगे भविष्य में ध्यान रखूंगा ऐसा माल नहीं बेचूंगा। श्रीमान इस मुकदमें में मुझे दोषमुक्त करवाने की कृपा करें। कोर्ट द्वारा मुझ पर जो भी जुर्माना किया जायेगा मुझे मुन्जुर है।

(6) प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.07.2021 को अभिवक्ता श्री हरफूलराव ने अभियुक्त संख्या 02 व 03 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अभिवक्ता श्री ने अभियुक्त संख्या 02 व 03 की ओर से दिनांक 10.08.2021 को जवाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मै लकड़ा जी फुड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज G1–3, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी जयपुर, मै. छोटीलाल लकड़ा रामगंज अनाज मण्डी जयपुर अर्ज इस प्रकार है कि मेरी जयपुर में रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी जयपुर व रामंगज अनाज मण्डी जयपुर मे नाम से दुकान संचालित करता हूँ जिसका मालिक में स्वयं हूँ अभी पूर्व में मेरी दुकान से बेसन का सेम्पल भरा गया था। जिसमें कुछ पोईन्ट की मात्रा कम आने से मेरा सेम्पल अमान्य पाया गया, मै माफी चाहता हूँ आईन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। जिसके संबंध में श्रीमान के न्यायालय से नोटीस प्राप्त हुआ। जो मै आज दिनांक 10.08.2021 को श्रीमान समक्ष जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर रहा हूँ आईन्दा गलती नहीं होगी व माफी चाहता हूँ मै मेरे परिवार में लालन–पालन करने वाला में ही हूँ मै मेरी दुकान से ही गुजारा चलाता हूँ। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मुझे माफी बक्साने की कृपा करावें।

(7) प्रकरण में अभियुक्त संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में तथा अभियुक्त संख्या 02 व 03 ने अपने जवाब जरिये अधिवक्ता में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 08.09.2021 को सुना गया। न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकषित करते हुए यह व्यक्त किया कि अभियुक्त अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(8) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय 02:00 पी.एम. पर फर्मः–लक्ष्मीनारायण बिरदीचंद स्टेशन रोड़, पुस्तकालय के पास, छोटी खाटू, जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति राजकुमार पुत्र बिरदीचंद निवासी–स्टेशन रोड़, छोटी खाटू, जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते बेसन आदि खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया।

(9) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर बेसन (लकड़ाजी) 1 किलोग्राम पॉली पैक में सीलबंद आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह बेसन (लकड़ाजी) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक की उपस्थिति में उक्त बेसन (लकड़ाजी) के 4Kg (4 पैकेट) बेसन (लकड़ाजी) को नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू.

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

320/–नगद (अक्षरे तीन सौ बीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ बेसन (लकड़ाजी) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–804 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राजकुमार को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

(10) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म–लक्ष्मीनारायण बिरदीचंद, स्टेशन रोड़, पुस्तकालय के पास, छोटी खाटू, विक्रेता मालिक राजकुमार से खाद्य पदार्थ बेसन (लकड़ाजी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर श्री प्रेमचंद भाटी, वार्ड बॉय, नागौर ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 21.03.2016 को देकर रसीद प्राप्त की शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 21.03.2016 को आवेदक ने स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ बेसन (लकड़ाजी) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/264/Act/2016/295 दिनांक 28.03.2016 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता राजकुमार से वास्ते जांच

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

क्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (लकड़ाजी) का नमूना Q–804 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मिथ्याछाप पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (misbranded) होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है;या

धारा 52:–

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक FSSA/07 दिनांक 07.04.2016 से उक्त को जांच रिपोर्ट LS/264/Act/2016/295 दिनांक 28.03.2016 की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–804 जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः–लक्ष्मीनारायण बिरदीचं, पुस्तकालय के पास, छोटी खाटू जिला नागौर, लकड़ा जी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, G1–3, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बस्सी, जयपुर व मै. छोटीलाल लकड़ा, रामगंज अनाज मण्डी जयपुर (राज0) दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त राजकुमार पुत्र बिरदीचंद, निवासी–स्टेशन रोड़, छोटी खाटू जिला नागौर, फर्मः–लक्ष्मीनारायण बिरदीचंद, स्टेशन रोड़, पुस्तकालय के पास, छोटी खाटू जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, अभियुक्त लकड़ा जी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, G1–3, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बस्सी, जयपुर पर राशि रुपये 40000/–(अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा मै. छोटीलाल लकड़ा रामगंज अनाज मण्डी जयपुर (राज.) पर राशि रुपये 40000/–(अक्षरे

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(11) आदेश दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना (राज.)